(317)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1936 (श0)

(सं0 पटना 577) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई 2014

सं0 ई2–2–111/2010/72—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार–राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ – (1) यह नियमावली बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम – 14 के बाद निम्नलिखित नया नियम 14 क जोड़ा जायेगा :–

   "14 (क) इस सेवा में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित सभी प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा परन्तु संस्थान द्वारा ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
हुसैन यूसुफ रिजवी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 7th July 2014

No. **E2-2-111/2010/72**—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Election Service Rules, 2006.

1. Short title, extent and commencement–(1) These Rules may be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2014.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) This notification shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. (2) The follwing new rule 14 A shall be added after rule 14 of the Bihar Election Service Rules, 2006 :-

"14 (A) For promotion to the higher posts in this service it shall be essential for the officers of Bihar Election service to participate in all the trainings determined by the State Government, but the promotions will not be obstructed due to not holding the training in time by the institution".

By order of Governor of Bihar,
HUSSAIN YOUSUF RIZVI,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 577-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 1) पटना, बुधवार, 1 जनवरी 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं
27 दिसम्बर 2013

सं0 ई2–46/2003 (खंड–1)–61—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:–** (1) यह नियमावली 'बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम– 4 का उप–नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:--
   "4 (2) संवर्ग –बल। – **अवर निर्वाचन पदाधिकारी :–**
   (क) प्रत्येक अनुमंडल मे अवर निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद होगा।
   (ख) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होगे, जिनमे से एक पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सचिव के रूप में चिन्हित रहेगा।
   (ग) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के आठ पद अवकाश एवं प्रशिक्षण रक्षित पद के रूप मे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के कार्यालय मे होगे।
   उप निर्वाचन पदाधिकारी :–
   (घ) जिला स्तर पर प्रत्येक जिला मे एक उप निर्वाचन पदाधिकारी का पद होगा।
   (ड़) उप निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के कार्यालय मे होंगे।
   उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी :–
   (च) प्रत्येक प्रमंडल मे प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय मे एक पद उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का होगा।
   (छ) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तीन पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय मे होंगे।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 के उप–नियम (2) एवं (3) निम्नलिखित द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगें:–
   "(2) उप निर्वाचन पदाधिकारी के सभी पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी की प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे।
   (3) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी पद उप निर्वाचन पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

31 दिसम्बर 2013

सं0 ई2–46 / 2003 (खंड–1)–62––अधिसूचना संख्या 61–सह–पठित ज्ञापांक 6368 दिनांक 27.12.2013 द्वारा संसूचित अंग्रेजी अनुवाद एतद् द्वारा बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

The 27th December 2013

No. E2-43/2003 (Part-1)-61—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for amendment in Bihar Election Service Rules, 2006.

1. **Short title, extent and commencement** – (1) This Rule shall be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2013.
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. Sub-rule (2) rule 4 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following–
   " (2) Cadre Strength:- **Sub Election officer:**
   (a) There shall be one post of Sub Election Officer in each Sub Division.
   (b) Four Posts of Sub Election officers shall be at the office of Chief Electoral Officers Bihar Patna, out of which one Post shall be earmarked as Secretary to the Chief Electoral officers in Bihar.
   (c) Eight Posts of Sub Election officers shall be at the office of Chief Electoral officer Bihar Patna as leave reserve and Training Post.
   Deputy Election officer:-
   (d) At District level, there shall be one Post of Deputy Election officer in each District.
   (e) Four Posts of Deputy Election officers shall be at the office of Chief Electoral officers Bihar Patna.
   Deputy Chief Electoral officer:-
   (f) At Division level, there shall be one Post of Deputy Chief Electoral officer at the office of Divisional Commissioner.
   (g) Three posts of Deputy chief electoral officers shall be at the office of chief Electoral officer Bihar, Patna.
3. Sub-rule (2) and (3) of Rule 5 of the said Rule 2006 shall be substituted by the following respectively.—
   " (2) All Posts of Deputy Election Officer shall be filled up by promotion of Sub Election Officers.
   (3) All Posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by promotion of Deputy Election Officers".

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

(21) 164 72

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

अधिसूचना सं0–ई2–2–111 / 2010– 43 पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

अधिसूचना

सं0 ई2-2-111/2010-43 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ– (1) यह नियमावली 'बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम–12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:–

12. विभागीय परीक्षा एवं विषय। - राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा नियमावली –1961 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के लिए आवश्यकतानुसार निर्वाचन विभाग, बिहार के अनुरोध पर विभागीय परीक्षा का आयोजन/संचालन केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्) बिहार द्वारा किया जायेगा, जिसके विषय एवं पाठ्यक्रम निम्नवत् होंगे:–

(1) विषय - हिन्दी (लिखित परीक्षा–200 अंक, मौखिक परीक्षा–100 अंक)
पाठ्यक्रम – हिन्दी परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(2) विषय - लेखा (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम - लेखा (भाग–1) – पुस्तक रहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(3) विषय – लेखा (भाग–2) – पुस्तक सहित।
पाठ्यक्रम – लेखा (भाग–2) – पुस्तक सहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(4) विषय - दण्ड विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम – दंड विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(5) विषय - दण्ड विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित।
पाठ्यक्रम – दंड विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(6) विषय – निर्वाचन विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम -

(i) भारत का संविधान।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950*।

(iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* ।

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 ।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* ।

(vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* ।

(vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* ।

(viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955* ।

(ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्यतन संशोधित) ।

(x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* ।

(xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* / परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* / निर्वाचनों का संचालन नियम 1961* / निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* / भारतीय दंड संहिता 1860 / संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्शन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्शन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत।

(xiii) आयोग द्वारा समय–समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेश।

*टिप्पणी – यथा अद्यतन संशोधित ।

(7) विषय – निर्वाचन विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित।

पाठ्यक्रम –

(i) भारत का संविधान ।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* ।

(iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* ।

(iv) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 ।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* ।

(vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* ।

(vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* ।

(viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियत्रण अधिनियम, 1955* ।

(ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्यतन संशोधित) ।

(x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* ।

(xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* / निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951* / निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* / निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968* / भारतीय दंड संहिता, 1860 / संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्शन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्शन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत।

(xiii) आयोग द्वारा समय–समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेश।

*टिप्पणी:– यथा अद्यतन संशोधित।

8 वैसे पदाधिकारियो को जिन्होंने पूर्व में विभागीय परीक्षा मे उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और सेवा में सम्पुष्ट कर दिये गये हों, इस नियम में यथा उपबंधित परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापक – ई2–2–111/2010– 7108 पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापक – ई2–2–111/2010– 7108 पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके विभागीय पत्रांक 4088 दिनांक 09.10.2010 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (बिहार गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ दो हार्ड प्रतियों में सी0डी0 सहित)/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

(18)
(67)
(161)
10

Government of Bihar
Election Department
Office of the Chief Electoral Officer, Bihar
7, Sardar Patel Marg (Mangles Road), Patna-800015

Phone no. : 0612-2217956
Fax no.: 0612-2215611
E-mail : ceo_bihar@eci.gov.in

Notification no. E2-2-111/2010- 43 Patna, dated 24/12/. 2012.

NOTIFICATION

No. E2-2-111/2010-43 / In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for amendment in Bihar Election Service Rules, 2006.

1. Short title, extent and commencement - (1) This Rule shall be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2012.

   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Rule 12 of Bihar Election Service Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

"12. Departmental Examination and Subject - In accordance with provisions of Rules for the Departmental Examination of Gazetted Officer, 1961, a departmental examination shall be conducted by the Central Examination Committee (Board of Revenue) as and when required on the request of Election Department for the officers of Bihar Election Service of basic grade, whose subjects and syllabus shall be as follows :-

(1) Subject - Hindi (Written examination-200 Marks, Interview-100 Marks)

Syllabus - The syllabus of Hindi Examination will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(2) Subject - Accounts (Part-1) - Without Book.

Syllabus - The syllabus of Accounts (Part-1) - Without Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(3) Subject - Accounts (Part-2) - With Book.

Syllabus - The syllabus of Accounts (Part-2) - With Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(4) Subject - Criminal Law (Part-1) - Without Book.

Syllabus - The syllabus of Criminal Law (Part-1) - Without Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(5) Subject - Criminal Law (Part-2) - With Book.

Syllabus - The syllabus of Criminal Law (Part-2) - With Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(6) Subject - Election Law (Part-1) - Without Book.

Syllabus

(i) Constitution of India

(ii) The Representation of the People Act, 1950*

(iii) The Registration of Electors Rules, 1960*

(iv) Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007

(v) The Representation of the People Act, 1951*)

(vi) The Conduct of Election Rules, 1961*

(vii) The Election Symbols (Reservation and Allotment) order, 1968*

(viii) The Bihar Control of the use and play of Loud Speakers' Act, 1955*

(ix) The Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1985 (With latest Amendments)

(x) The Motor Vehicles Act, 1988*

(xi) Different aspects of The Representation of the People Act, 1950*/The Registration of Electors Rules, 1960*/Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007/The Representation of the People Act, 1951*/The Conduct of Election Rules, 1961*/The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968*/Indian Penal Code, 1860/The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959

(xii) Handbook for Returning Officers, Handbook for Electoral Registration Officers, Handbook for Candidates, Handbook for Presiding Officers, Handbook for Polling Agents, Handbook for Counting Agents, Instructions on Expenditure Monitoring in elections (as updated) and issued by the Election Commission of India

(xiii) Compendiums published by Election Commission of India in book form and policy instructions issued by the commission from time to time and published on its website

*Note:- Alongwith their subsequent Amendments

(7) Subject Election Law (Part-2) – With Book.

Syllabus –

(i) Constitution of India

(ii) The Representation of the People Act, 1950*

(iii) The Registration of Electors Rules, 1960*

(iv) Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007

(v) The Representation of the People Act, 1951*)

(vi) The Conduct of Election Rules, 1961*

(vii) The Election Symbols (Reservation and Allotment) order, 1968*

(viii) The Bihar Control of the use and play of Loud Speakers' Act, 1955*

(ix) The Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1985 (With latest Amendments)

(x) The Motor Vehicles Act, 1988*

(xi) Different aspects of The Representation of the People Act, 1950*/The Registration of Electors Rules, 1960*/Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007/The Representation of the People Act, 1951*/The Conduct of Election Rules, 1961*/The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968*/Indian Penal Code, 1860/The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959

(xii) Handbook for Returning Officers, Handbook for Electoral Registration Officers, Handbook for Candidates, Handbook for Presiding Officers, Handbook for Polling Agents, Handbook for Counting Agents, Instructions on Expenditure Monitoring in elections (as updated) issued by the Election Commission of India

(xiii) Compendiums published by Election Commission of India in book form and policy instructions issued by the commission from time to time and published on its website

*Note:- Alongwith their subsequent Amendments.

8. All Officers, who have passed the departmental examination earlier and have been confirmed in the service, shall be exempted from passing the departmental examination mentioned above."

By the order of Governor of Bihar,

24.12.2012
(R. K. Prasad)
Joint Secretary.

Memo : E2-2-111/2010- 7108 Patna, dated 24/12/ , 2012.

Copy to : Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Bihar/Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/All Principal Secretary/All Secretary/ All Head of the Department/All Divisional Commissioner/All District Election Officer-cum-District Magistrate/All Sub-Divisional Officer/All Deputy Election Officer/All Sub Election Officer, Bihar for information and necessary action.

24.12.2012
(R. K. Prasad)
Joint Secretary.

Memo : E2-2-111/2010- 7108 Patna, dated 24/12/ , 2012.

Copy to : Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

2. Principal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

3. Secretary, Central Examination Committee (Board of Revenue), Bihar for information and necessary action.

4. Deputy Secretary, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna (along with two hard copies with CD for its publication in the next publication of Bihar Gazette) Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbag, Patna for information and necessary action.

24.12.2012
(R. K. Prasad)
Joint Secretary.

निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1928 (श०)

(सं० पटना 1010) पटना, शुक्रवार 22 दिसम्बर 2006

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

22 दिसम्बर 2006

सं० ई2–43 / 2003–49—बिहार निर्वाचन सेवा नियमवली, 2006 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार राकेश,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

अधिसूचनाएँ

22 दिसम्बर, 2006

सं०–ई2–43/2003–49–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग में भर्ती एवं सेवा श विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

भाग–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह नियमावली "बिहार निर्वाचन सेवा नियम 2006 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली, अधिसूचना द्वारा, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ। – जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार–सरकार;

(ख) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(ग) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(घ) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(ङ) 'सेवा' से अभिप्रेत है 'बिहार निर्वाचन सेवा';

(च) 'सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी पद मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गई हो, और इ इस नियमावली के नियम–4 के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित है;

(छ) 'सरकारी सेवा' से अभिप्रेत है बिहार–सरकार के अधीन सेवा;

(ज) 'विभाग' से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, बिहार–सरकार।

3. प्रास्थिति। – बिहार निर्वाचन सेवा राज्य सेवा होगी।

4. संवर्ग की संरचना। – (1) इस सेवा में पद सोपान निम्नानुसार होंगे:–

(I) पदनाम

(क) अवर निर्वाचन पदाधिकारी

(ख) उप निर्वाचन पदाधिकारी

(ग) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

(2) संवर्ग–बल

अवर निर्वाचन पदाधिकारीः– (क) प्रत्येक अनुमंडल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद अनुमंडल स्तर पर होगा।

(ख) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे, जिनमें से एक पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सचिव के रूप में चिन्हित रहेगा।

उप निर्वाचन पदाधिकारीः– (ग) जिला स्तर पर प्रत्येक ऐसे जिला में, जहां एक से अधिक अनुमंडल या तीन या तीन से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हों, में उप निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद होगा।

(घ) उप निर्वाचन पदाधिकारी के दो पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीः– (ङ) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तीन पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे।

(3) संवर्ग नियमावली के अनुसार पदों का सृजन एवं उत्क्रमण किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार सरकार, समय–समय पर, संवर्ग बल विनिश्चित कर सकेगी।

(4) वेतनमानः– बिहार निर्वाचन सेवा के पदों का वेतनमान निम्नलिखित होंगे, जो समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित किए जा सकेंगेः–

पदनाम	वेतनमान
(क) अवर निर्वाचन पदाधिकारी	रू0 6500–200–10500
(ख) उप निर्वाचन पदाधिकारी	रू0 10000–325–15200
(ग) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	रू0 12000–375–16500

भाग–2

भर्त्ती

5. भर्त्ती के स्रोत। – (1) बिहार निर्वाचन सेवा का मूल पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का होगा। किसी वर्ष मे विद्यमान रिक्तियों के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती द्वारा तथा उस रिक्ति का 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी।

(2) उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदों का 75 प्रतिशत पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी की प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी के 25 प्रतिशत पद बिहार प्रशासनिक सेवा के

कनीय प्रवर कोटि के लिए निश्चित किये जायेंगे तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रवर कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी / अवर सचिव पंक्ति) की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(3) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा और शेष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दो पद उप निर्वाचन पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(4) भर्त्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण एवं रोस्टर नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6. रिक्तियों का विनिश्चय। – विभाग प्रतिवर्ष 31वीं मार्च तक सीधी भर्त्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का विनिश्चित करेगा तथा आयोग को कोटिवार अधियाचना भेजेगा।

7. रिक्तियों का भरा जाना। – (1) नियम–6 के अधीन रहते हुए, विभाग संयुक्त एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले मूल कोटि के पदों की संख्या आयोग को संसूचित करेगा।

(2) रिक्तियों को भरने हेतु आयोग परीक्षाओं का संचालन करेगा और परीक्षा के लिए उम्र सीमा न्यूनतम अर्हताएँ, पाठयक्रम वहीं रहेंगे जो सरकार द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये विनिश्चित किये गये हों।

(3) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ 5000–8000/–रू0 से अन्यून वेतनमान् में कार्यरत राज्य सरकार के समूह 'ग' के कर्मियों द्वारा भरी जायेगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठयक्रम का विनिश्चय आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. सेवा में नियुक्ति। – (1) प्रतियोगिता परीक्षा के पश्चात् आयोग द्वारा तैयार की गई एवं अनुशंसित सूची के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

(2) आयोग द्वारा प्रेषित मेधा सूची की वैधता एक वर्ष के लिए होगी तथा एक वर्ष के बाद उस सूची से कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

भाग–3

सेवा की अन्य शर्त्ते

9. परिवीक्षा। – (1) सेवा के मूल पद पर नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा पर होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि में, प्रत्येक पदाधिकारी से विभागीय परीक्षाओं या जाँच में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण नहीं करें अथवा परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका कार्य एवं कर्त्तव्य अनुपालन यदि असंतोषप्रद पाया जाये या कार्य के योग्य न हो तो उसकी सेवा समाप्त या अवक्रमित की जा सकेगी। फिर भी एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि का विस्तार करने हेतु सरकार को विवेकाधिकार होगा।

(4) परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर, पदाधिकारी की सेवा को तभी संपुष्ट किया जा सकगा यदि उसने नियम 10 मे उपबंधित रूप में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो तथा सरकार विनिश्चय करे कि वह सपुष्टि के योग्य है।

10. प्रशिक्षण।— इस सेवा में नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारियों को छः माह का गहन प्रशिक्षण निम्न रूप मे विभिन्न चरणों में दिया जाएगा:—

(क) बिहार प्रशासनिक संस्थान में तीन माह का गहन प्रशिक्षण;

(ख) पन्द्रह दिनो का भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में प्रशिक्षण;

(ग) पैंतालीस दिनों का जिला एवं अनुमंडल कार्यालयों में सरकारी कार्य संचालन में प्रशिक्षण;

(घ) मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, बिहार, पटना में एक माह का प्रशिक्षण।

11. विभागीय परीक्षा। — पद पर संपुष्टि के पूर्व, प्रत्येक पदाधिकारी को सरकार द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

12. विभागीय परीक्षा के विषय। — विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे :—

(i) हिन्दी—हिन्दी परीक्षा के संबंध में सरकार का विनिश्चय एवं निदेश इस सेवा पर भी लागू होंगे;

(ii) लेखा;

(iii) निर्वाचन;

(iv) (क) लेखा और निर्वाचन के विषय के लिए पाठयक्रम मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे। परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए पदाधिकारियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 60% (साठ प्रतिशत) अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) वैसे पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूर्व में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और सेवा मे संपुष्ट कर दिये गये हों, इस नियम में यथा उपबंधित परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी।

13. सेवा—संपुष्टि। — (1) वैसे पदाधिकारियों की सेवा, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी कर ली हो तथा जिन्होंने विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की तिथि अथवा परिवीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि, जो भी बाद मे हो, से सेवा में सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) कोई भी पदाधिकारी प्रोन्नति हेतु तबतक योग्य नहीं समझा जायेगा जबतक वह सेवा में सम्पुष्ट न हो जाय।

भाग—4

प्रोन्नति

14. इस सेवा में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कोटे के अनुसार चयन, इस नियमावली के अधीन बिहार निर्वाचन सेवा के योग्य पदाधिकारियों के बीच से योग्यता—सह—वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति

समिति की अनुशंसा पर, किया जायेगा। समय–समय पर प्रोन्नति के विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प / परिपत्र / अधिसूचना का अनुपालन किया जायेगा।

15. उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक अवधि वही होगी, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाए।

16. निम्नतर कोटि के पद से उच्चतर कोटि के पद पर प्रोन्नति होने पर ऐसे प्रोन्नत पदाधिकारी का वेतन निर्धारण उस समय लागू सरकारी नियमावली एवं विनियमावली के अनुसार किया जायेगा।

17. वैसे सभी मामलों एवं परिस्थितियों के लिए जहाँ कोई नियम नहीं बनाया गया हो, वहाँ बिहार सरकार द्वारा अधिकथित नियमावली एवं विनियमावली लागू रहेंगी।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति। – (1) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित समय–समय पर निर्गत सभी नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व प्रवृत्त सभी पूर्वोक्त नियमावली संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मुख्य निर्वाचन प्रदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

Cabinet (Election) Department

NOTIFICATION

The 22nd December 2006.

No E2-13/2003-49 In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulation of recruitment and service conditions of the Bihar Election Service --

Part - I

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Bihar Election Service Rule-2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette by notification

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Government" means the Government of Bihar;

(b) "Governor" means the Governor of Bihar;

(c) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;

(d) "State" means the State of Bihar;

(e) "Service" means Bihar Election Service;

(f) "Member of .the Service" means a person who has been appointed in the service against the basic post or appointed temporarily against any post under the provisions of these rules and it includes a person appointed and working under rule-4 of these rules;

(g) "Government Service" means the Service under the Government of Bihar;

(h) "Department" means Cabinet (Election) Department of the Govt. of Bihar.

3. Status- The Bihar Election Service shall be a state service.

4. Cadre structure:- Hierarchy in this service shall be as follows.

(1) Name of the Posts

(a) Sub Election Officer

(b) Deputy Election Officer

(c) Deputy Chief Electoral Officer

(2) **Cadre Strength**

Sub Election Officer :

(a) There shall be one post of Sub Election Officer in each Sub Division at Sub Divisional level.

(b) Four Posts of Sub Election Officers shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna out of which one post shall be earmarked as Secretary to the Chief Electoral Officer, Bihar.

Deputy Election Officer:

(c) At district level, there shall be one post of Deputy Election Officer in each such district which has more than one Sub Division or three or more than three Legislative Assembly Constituencies.

(d) Two posts of Deputy Election Officer shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

Deputy Chief Electoral Officer:

(e) Three posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

(3) Posts may be created and upgraded according to cadre rules. The government may decide cadre strength from time to time as per needs.

(4) Pay Scale - The following shall be the pay scales of the posts in Bihar Election Service, which may be revised from time to time by the State Government.

Name of the Posts	Pay Scale
(a) Sub- Election Officer:-	6500-200-10500
(b) Deputy Election Officer:-	10000-325-15200
(c) Deputy Chief Electoral Officer:-	12000-375-16500

Part - 2
Recruitment

5. **Source of recruitment** - (1) The basic post of Bihar Election Service shall be of Sub Election Officer. 75% of the existing vacancies in any year shall be filled up by direct recruitment and 25% of the vacancy shall be filled up through limited competitive examination.

(2) 75% of the posts of Deputy Election Officer shall be filled up by promotion of Sub Election Officers. 25% of posts of Deputy Election Officer shall be earmarked for junior selection grade of Bihar Administrative Service and shall be filled up by promotion of junior selection grade (Sub-Divisional Officers/Under Secretary rank) of Bihar Administrative Service.

(3) One post of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by officer of the rank of Additional Collector and the remaining two posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by promotion of Deputy Election Officers.

(4) In recruitment and promotion rules of reservation and roster shall be followed.

6. **Determination of Vacancies-** The department shall determine the number of vacancies to be filled through direct recruitment by 31st of March every year and shall send category wise requisition to the Commission.

7. **Filling up of Vacancies-**(1) subject to rule-6 the department shall inform the commission the number of basic grade posts to be filled up by combined and limited competitive examinations.

(2) The Commission shall conduct the examinations to fill up the vacancies; and the age limit, minimum qualifications and syllabus for the examination shall be the same, as decided by the Government for combined competitive examination.

(3) The vacancies to be filled up by limited competitive examination shall be filled up by those group "C" employees of the State Government working in the pay scale of not less than Rs. 5000-8000. The syllabus for limited examination shall be decided by the department in consultation with the Commission.

8. **Appointment in the Service-** (1) The appointment shall be made on the basis of list prepared and recommended by the Commission after competitive examination.

(2) The merit list sent by the Commission shall be valid for one year and no appointment shall be made from that list after one year.

PART-3
Other Conditions of the Service

9. **Probation:** (1) The appointment on the basic post of the service shall be on probation of two years.

(2) Every officer shall be required to pass the departmental examinations or tests during the probation period.

(3) If the probationer does not complete the probation period satisfactorily or if during the period of probation his performance of the work and duties is found to be unsatisfactory or not suitable to job, his service shall be terminated or reverted. However the Govt. shall have discretion to extend the period of probation for a period not exceeding one year.

(4) After completion of probation period, the service of officers shall be confirmed only if he/she has obtained training as provided under Rule 10 and has passed the prescribed Departmental Examination and the Government decides that he/she is fit for confirmation.

10. <u>Training</u>- The officers appointed in this service will be given intensive training for six months in different phases as follows:-

(a) Three months intensive training at Bihar Administrative Training Institute;

(b) Fifteen days training at Election Commission of India, New Delhi;

(c) Forty five days training at district and sub divisional offices in conduct of official business;

(d) One month training at Cabinet (Election) Department, Bihar, Patna.

11. **<u>Departmental Examination:</u>**

Every officer shall have to pass the departmental examination conducted by the government before being confirmed on the post

12. <u>Subjects for departmental examination-</u> The following shall be the subjects for the Departmental Examination :-

(i) Hindi The decisions and directions of the government with regard to Hindi examination shall also be applicable to this service

(ii) Accounts

(iii) [illegible]

(iv) . (a) The syllabus for the subjects of accounts and election shall be decided by Cabinet (Election) Department. The Officers shall have to obtain at least 60% (sixty Percent) marks in each subject to pass the examination.

(b) Those officers who have already cleared the departmental examination and have been confirmed shall be exempted from appearing in the examination as provided in this rule.

13. **Confirmation of Service:-**

(1) Services of the officers, who have completed probation period satisfactorily and who have passed the departmental examination, shall be confirmed in service from the date of passing the examination or from the date of completion of probation period, which ever is later.

(2) No officer shall be considered fit for promotion unless his/her services are confirmed.

Part-4

PROMOTION

14. The selection for promotion to higher posts as per quota in th[illegible] service shall be made from the eligible officers of Bihar Election Service und[illegible] ese rul[illegible] on the basis of merit-cum-seniority on the [illegible] mendation of Dep[illegible] mental Pr[illegible] otion Committee. The resolutions, circular[illegible] and notifications issue[illegible] on the subject of promotion by the Department of Personnel and Administrat[illegible] Reforms, from time to time, shall be followed.

15. The minimum qualifying period for promotion to higher posts shall be same as decided by Personnel and Administr[illegible] Reforms Departme[illegible] from time to time.

16. **Fixation of pay after promotion:** - On promotion [illegible] om lower grade post to higher grade post, the fixation of pay of s[illegible]h prom[illegible] officer shall be made according to the prevalent rules and regulati[illegible] of the gov[illegible] ment at that time.

17. For all such cases and situations, whe[illegible] rule h[illegible] en framed the rules and regulations laid down by the Governme[illegible] har sl[illegible] be applic[illegible].

18. Repeal & Savings – (1) All rules, resolutions, orders and instructi[illegible] relating to appointment and promotion of Sub Election Officers, issued from time to time prior to coming into force of these rules are hereby repealed

(4)

(307)

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid rules, resolutions, orders and instructions prior to coming into force of these rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SUDHIR KUMAR RAKESH,
Chief Electoral Officer, Bihar
-Cum-Secretary to the Government.

अधीक्षक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1011-571+500 डी०टी०पी०